

आदेश सं. आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/एमआईएससी/44/02/2024

Order No. IRDA/INT/ORD/MISC/44/02/2024

दिनांक / Date: 23.02.2024

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42ई के साथ पठित
आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 12(1) के अधीन
डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश

Order of Insurance Regulatory and Development Authority of India
in the matter of Dealmoney Insurance Broking Private Limited
under Regulation 12(1) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018
read with section 42E of the Insurance Act, 1938

निम्नलिखित के आधार पर:

Based on:

- (i) कारण बताओ नोटिस (इस आदेश में इसके बाद "एससीएन" के रूप में उल्लिखित संदर्भ सं. आईआरडीएआई/डीबी 742/08/18 दिनांक 07 जुलाई 2020.
Show Cause Notice (hereinafter referred to as "SCN") reference No. IRDA/DB 742/08/18 dated July 07, 2020.
- (ii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश दिनांक 16 जून 2021.
Order of Insurance Regulatory and Development Authority of India dated June 16, 2021.
- (iii) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2022.
Order of Securities Appellate Tribunal dated October 20, 2022.
- (iv) आईआरडीएआई कार्यालय, हैदराबाद में 04 जुलाई 2023 को आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण।
The submissions made by Dealmoney Insurance Broking Private Limited during Personal hearing held on July 04, 2023 at IRDAI office, Hyderabad.

पृष्ठभूमि:

Background:

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित) को आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 (इस आदेश में इसके बाद "विनियम" के रूप में उल्लिखित) के विनियम 5 के अनुसार एक प्रत्यक्ष बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने की अपेक्षा करते हुए डीलमनी इंश्योरेंस

ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड (इस आदेश में इसके बाद "आवेदक" के रूप में उल्लिखित) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. ए356/357, रोड सं. 26, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, एमआईडीसी, थाने पश्चिम, थाने-400604 में है, से संदर्भ यूआरएन सं. बीआर-एनईडब्ल्यू-2233-2018 दिनांक 22 जून 2018 के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (hereinafter referred to as "the Authority") had received an application vide reference URN No. BR-NEW-2233-2018 dated June 22, 2018 from Dealmoney Insurance Broking Private Ltd. (hereinafter referred to as "the Applicant") having its registered office at Plot No. A356/357, Road No. 26, Wagle Industrial Estate, MIDC, Thane West, Thane – 400604, seeking grant of Certificate of Registration (CoR) to act as a Direct Insurance Broker in terms of Regulation 5 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as "the Regulations").

2. उक्त आवेदन की जाँच करते समय, आवेदक की सहयोगी कंपनियों की प्रस्तुत की गई सूची से यह पाया गया कि डीलमनी सेक्यूरिटीज़ लि. (इस आदेश में इसके बाद "कारपोरेट एजेंट" या "डीएसपीएल" के रूप में उल्लिखित) जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. ए356/357, रोड सं. 26, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, एमआईडीसी, थाने पश्चिम, थाने-400 604 में स्थित है, प्राधिकरण के पास पंजीकरण सं. सीए0081 के साथ एक कारपोरेट एजेंट के रूप में पंजीकृत है।

While examining the application, it was observed from the submitted list of the associate companies of the Applicant that Dealmoney Securities Private Ltd. (herein referred as "the Corporate Agent" or "DSPL") having its registered office at Plot No. A356/357, Road No. 26, Wagle Industrial Estate, MIDC, Thane West, Thane – 400 604 was registered with the Authority as a Corporate Agent, having registration no. CA0081.

3. प्राधिकरण को उक्त कारपोरेट एजेंट के विरुद्ध शिकयतें मिली थीं और उनके आधार पर प्राधिकरण ने 23 अगस्त 2018 से 27 अगस्त 2018 तक उक्त कारपोरेट एजेंट का एक संकेन्द्रित आनसाइट निरीक्षण संचालित किया।

The Authority had received complaints against the Corporate Agent and based on the same, Authority conducted a Focused Onsite Inspection of the Corporate Agent from August 23, 2018 to August 27, 2018.

4. उक्त निरीक्षण के अतिरिक्त, प्राधिकरण ने संदर्भ सं. आईआरडीएआई/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/239/12/2019 के द्वारा उक्त कारपोरेट एजेंट को उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में चेतावनी देते हुए और निदेश जारी करते हुए 31 दिसंबर 2019 को एक आदेश जारी किया।

Further to the inspection, the Authority issued an order vide reference no. IRDA/ENF/ORD/ONS/239/12/2019 on December 31, 2019, cautioning and issuing directions to the Corporate Agent on the charges framed against them.

5. 24 दिसंबर 2019 को "टाइम्स आफ इंडिया" समाचारपत्र में एक आलेख यह सूचना देते हुए प्रकाशित किया गया कि बिधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोलकाता ने सुगम पार्क, साल्ट लेक, सेक्टर V, कोलकाता में स्थित उक्त कारपोरेट एजेंट के कार्यालय पर छापे मारे थे। उक्त समाचार के आलेख में यह सूचना दी गई कि उक्त कारपोरेट एजेंट के विरुद्ध कोलकाता, त्रिपुरा, ओडिशा और उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों से कदाचार और छल-कपट की अनेक शिकायतें मिली थीं तथा 1000 से अधिक व्यक्ति इनके शिकार हुए थे। उक्त आलेख में यह सूचना दी गई कि पुलिस ने श्री अभिजीत डे, कारपोरेट एजेंट के निदेशक और श्री प्रदीप कुमार राय को गिरफ्तार किया तथा यह मामला बिधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोलकाता के पास जाँच के अधीन है।

On December 24, 2019 a news article was published in "Times of India" newspaper reporting that the Bidhan Nagar Cyber Crime Police Station, Kolkata had conducted raids on the office of the Corporate Agent, situated at Sugam Park, Salt Lake, Sector V, Kolkata. The news article reported that police received many complaints of misconduct and cheating from Kolkata, Tripura, Odisha and other states of North East against the Corporate Agent and there were more than 1000 victims. The article reported that the Police arrested Mr. Abhijeet Dey, Director of the Corporate Agent and Mr. Pradeep Kumar Roy and that the matter is under investigation with Bidhannagar Cyber Crime Police Station, Kolkata.

6. उपर्युक्त दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारपोरेट एजेंट का व्यवहार उपयुक्त नहीं पाया गया और वह बीमा पालिसियों के पालिसीधारकों/संभावित ग्राहकों के हित में नहीं है।

In view of the abovementioned instances, the conduct of the Corporate Agent was not found to be appropriate and not in the interest of the policyholder/prospects of insurance policies.

7. इसके अलावा, यह पाया गया कि श्री पाण्डू प्रभाकर नाइग और श्री अभिजीत डे उक्त आवेदक और उक्त कारपोरेट एजेंट के सामान्य निदेशक हैं।

Further, it was observed that Mr. Pandoo Prabhakar Naig and Mr. Abhijeet Dey were the common directors of the Applicant and the Corporate Agent.

8. विनियम 8(2)(ण) के अनुसार, प्राधिकरण किसी बीमा दलाल के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या पंजीकरण का निर्गम पालिसीधारकों के हित में है या नहीं। कारपोरेट एजेंट के उपर्युक्त मामले में, पालिसीधारकों की धन-राशि संबद्ध थी। अतः ऊपर उल्लिखित कारपोरेट एजेंट के व्यवहार पर विचार करते हुए, जिसे आवेदक की एक सहयोगी कंपनी के रूप में घोषित किया गया है, तथा आवेदक के साथ जिनके सामान्य निदेशक हैं, प्राधिकरण ने पाया कि आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम पालिसीधारकों के हित में नहीं होगा।

In terms of Regulation 8(2)(o), the Authority while considering an application for registration of an insurance broker, shall take into account, whether the issue of certificate of registration will be in the interest of policyholders. In the above case of Corporate Agent, the policyholder's money was involved. Therefore, considering the conduct of the Corporate Agent mentioned above, who was declared as an associate

डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आदेश

company of the Applicant and having common directors with the Applicant, the Authority found that the issue of certificate of registration to applicant will not be in the interest of policyholders.

9. इसके अतिरिक्त, उक्त विनियमों के विनियम 7(5) के अनुसार, आवेदक स्वयं ही ऐसी अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्राधिकरण की जानकारी में तत्काल जाएगा जिसका संबंध उनके आवेदन पर विचार करने के संबंध में हो सकता है। आवेदक ने उक्त सहयोगी संस्था के कार्यालय पर पुलिस के छापों और उसके विरुद्ध पंजीकृत मामले की सूचना कभी प्रकट नहीं की, आवेदक संस्था के साथ जिसके सामान्य निदेशक थे। यह सूचना आवेदन पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध पालिसीधारकों/संभावित ग्राहकों के साथ विनियमित संस्था के व्यवहार से है, जोकि बीमा वितरण व्यवसाय में प्राथमिक महत्व रखता है। यह महत्वपूर्ण सूचना स्वयं ही तत्काल प्रकट न करते हुए आवेदक ने उक्त विनियमों के विनियम 7(5) का उल्लंघन किया है।

Further, in terms of Regulation 7(5) of the Regulations, the Applicant shall bring to the notice of the Authority, on its own forthwith, such further information or clarification, which might have a bearing on consideration of their application. The Applicant never disclosed the information of the police raids on the office of the associate entity, and the case registered against it, which has common directors with the Applicant entity. This information is material for consideration of the application as it relates to the conduct of the regulated entity with the policyholder/prospects, which is of prime importance in Insurance distribution business. By not disclosing this material information on its own forthwith, the Applicant violated Regulation 7(5) of the Regulations.

10. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, उक्त विनियमों के विनियम 12(1) के अनुसार एससीएन संदर्भ सं. आईआरडीएआई/डीबी 742/08/18 दिनांक 7 जुलाई 2020 के द्वारा प्राधिकरण द्वारा आवेदक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया कि एक प्रत्यक्ष दलाल के रूप में पंजीकरण की अपेक्षा करते हुए प्रस्तुत उनके आवेदन को क्यों नहीं अस्वीकार किया जा सकता। उक्त एससीएन में यह उल्लेख किया गया था कि उनका उत्तर प्राधिकरण के पास 21 दिन के अंदर पहुँचना चाहिए। एससीएन में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि आवेदक वैयक्तिक सुनवाई का अवसर प्राप्त करना चाहता है तो अपने उत्तर में यह निर्दिष्ट करें।

Based on above facts, in terms of Regulation 12(1) of the Regulations, vide SCN reference no. IRDA/DB 742/08/18 dated July 7, 2020, the Applicant was show caused by the Authority seeking their explanation as to why their application, seeking registration as a direct Broker, shall not be rejected. It was mentioned in the SCN that their reply should reach the Authority within 21 days. It was also mentioned in the SCN that if the Applicant wishes to avail of the opportunity of personal hearing, they may indicate it in their reply.

11. आवेदक ने प्राधिकरण के एससीएन का उत्तर 21 दिन के समय के अंदर नहीं दिया। उक्त एससीएन का उत्तर देने के लिए आवेदक को 17 जुलाई 2020 और 29 जुलाई 2020 को स्मरण-पत्र दिये गये। उक्त स्मरण-पत्रों के बावजूद, आवेदक 21 दिन के अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आदेश

The Applicant did not respond to the Authority's SCN within 21 days of time. The Applicant was given reminders on July 17, 2020 and July 29, 2020 to respond to the SCN. In spite of the reminders, the Applicant failed to furnish their reply within 21 days.

12. तदनुसार, अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने उक्त विनियमों के विनियम 12(1) के अंतर्गत उसमें निहित शक्तियों के अनुसार, डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन को 16 जून 2021 को अस्वीकार किया।

Accordingly, after considering the facts as available on records, the Authority, in terms of the powers vested with it under regulation 12(1) of the Regulations, rejected the application by Dealmoney Insurance Broking Private Limited on June 16, 2021.

अपील / Appeal:

13. आवेदक ने प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष एक अपील फाइल की।

The Applicant filed an appeal before the Hon'ble Securities Appellate Tribunal (SAT) challenging the order of the Authority.

14. माननीय एसएटी ने आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के द्वारा यह मामला प्राधिकरण के पास इन अनुदेशों के साथ प्रेषित किया कि आवेदक को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद एक नया आदेश पारित करें।

Hon'ble SAT, vide order dated October 20, 2022, remitted the matter to the Authority with instructions to pass a fresh order after giving an opportunity of hearing to the Applicant.

वैयक्तिक सुनवाई और एससीएन का उत्तर / Personal Hearing and Response to SCN:

15. उपर्युक्त माननीय एसएटी के आदेश का सम्मान करते हुए, प्राधिकरण ने आवेदक के लिए सुविधाजनक तारीख के अनुसार आवेदक को सुनवाई का एक अवसर 04 जुलाई 2023 को दिया। आवेदक की ओर से श्री कुमल कटारिया (परामर्शदाता/अधिवक्ता), श्री पाण्डू नाइग (निदेशक) और श्री नासिर पठान (प्राधिकृत प्रतिनिधि) उक्त सुनवाई में उपस्थित हुए। प्राधिकरण की ओर से, श्रीमती एस. एन. राजेस्वरी, सदस्य (वितरण), श्री के. महीपाल रेड्डी (महाप्रबंधक), श्री मोहम्मद अयाज (उप महाप्रबंधक), श्री अलीम अफ़ाक़ (उप महाप्रबंधक) और श्री अमीर हसन (प्रबंधक) उक्त वैयक्तिक सुनवाई में उपस्थित रहे।

In deference to the above Hon'ble SAT order, the Authority, as per the date convenient to the Applicant, provided a personal hearing to the Applicant on July 04, 2023. On behalf of the Applicant, Mr. Kumal Katariya (Council/Advocate), Mr. Pandoo Naig (Director) and Mr. Nasir Pathan (Authorized Representative) attended the hearing. On behalf of the Authority, Mrs. S.N. Rajeswari, Member (Distribution), Mr. K.

Mahipal Reddy (GM), Mr. Mohammad Ayaz (DGM), Mr. Aleem Afaque (DGM) and Mr. Ameer Hassan (Manager) attended the personal hearing.

16. आवेदक ने उक्त वैयक्तिक सुनवाई में प्राधिकरण को निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण किये:

The Applicant made following submissions to the Authority in the personal hearing:

- क. श्री अभिजीत डे, जिनके विरुद्ध मामला फाइल किया गया है, प्रवर्तक/शेयरधारक नहीं है, परंतु एक व्यवसायी के रूप में नियोजित है। उनके कार्यग्रहण करने की तारीख प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।
- a. Mr. Abhijeet Dey, against whom the case is filed is not a promoter/shareholder but is employed as a professional. His date of joining will be furnished to the Authority.
- ख. आरोप "टाइम्स आफ इंडिया" समाचारपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019 में प्रकाशित समाचार की मद के आधार पर है। उक्त आरोप उपर्युक्त मामले में सूचना का प्रकटीकरण न करने के संबंध में है। आवेदक ने स्वीकार किया है कि उपर्युक्त अपराध/ मामले के बारे में प्राधिकरण को सूचित न करने में उनकी ओर से चूक हुई थी।
- b. The charge is based on a news item in "Times of India" newspaper, dated December 24, 2019. The charge is on non-disclosure of information on the above case. The Applicant has admitted that there was a lapse on their part in not informing to the Authority about the above crime/case.
- ग. कारपोरेट एजेंट और आवेदक उपर्युक्त मामले में एफआईआर का हिस्सा नहीं हैं।
- c. The Corporate Agent and the Applicant are not part of the FIR filed in the above case.
- घ. कारपोरेट एजेंट के पास लगभग 4000 कर्मचारी हैं। उक्त धोखाधड़ी संस्था के स्तर पर नहीं, बल्कि इसमें कुछ वैयक्तिक कर्मचारी/बाहरी व्यक्ति संबद्ध थे। उक्त एफआईआर में सूचीबद्ध कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई थी।
- d. The Corporate Agent has around 4000 employees. The fraud was not at institutional level but by a few individual employees/outsideers were involved. The employees who were listed in the FIR were terminated.
- ङ. कारपोरेट एजेंट ने प्रभावित व्यक्तियों को राशि लौटाने के लिए कार्रवाई की है, जहाँ धोखाधड़ी की गई थी। कारपोरेट एजेंट ने स्वयं भी श्री अभिजीत डे के विरुद्ध एफआईआर फाइल की है।
- e. The Corporate Agent has taken steps to refund the amount to the affected where fraud was committed. The Corporate Agent has also on its own filed FIR against Mr. Abhijeet Dey.
- च. कोविड की स्थिति के दौरान, आवेदक बीएपी में प्रवेश करने की स्थिति में नहीं था।
- f. During COVID situation, the Applicant was not in a position to access BAP.
- छ. कारपोरेट एजेंट का विलय डीलमनी कमाडटीज़ लिमिटेड में किया जा रहा है। यह प्रक्रियाधीन है। वनलाइफ कैपिटल एडवाइज़र्स लि. एक सूचीबद्ध कंपनी है और वह सेबी के द्वारा विनियमित है।

- g. The Corporate Agent is merging into Dealmoney Commodities Limited. The same is under process. Onelife Capital Advisors Ltd. is a listed company and it is regulated by SEBI.
- ज. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बीमा दलाल लाइसेंस के लिए आवेदन पर अनुकूल रूप से विचार किया जाए।
- h. The Applicant has requested that the application for Insurance Broker License be considered favourably.

17. आवेदक ने एससीएन के लिए उत्तर में तथा वैयक्तिक सुनवाई में प्राधिकरण द्वारा आगे किये गये प्रश्नों के लिए पत्र दिनांक 18 जुलाई 2023 के द्वारा निम्नलिखित लिखित प्रस्तुतीकरण किये:

The Applicant made following written submissions to the Authority vide letter dated July 18, 2023, in response to the SCN and on further queries of the Authority in the personal hearing:

- क. आवेदक को अभी अपना पंजीकरण प्राप्त करना है तथा इस कारण से आवेदक के विरुद्ध किसी भी पक्षकार के द्वारा कोई आरोप करने का कोई मामला नहीं हो सकता।
- a. The Applicant is yet to receive its registration and, therefore in any event, there can be no case of any allegations by any party against the Applicant.
- ख. एससीएन का मूल प्रश्न यह है कि प्राधिकरण को समाचारपत्र के आलेख से यह जानकारी मिली कि डीलमनी सेक्यूरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों पर कोलकाता में छापे मारे गये तथा आवेदक ने संगत समय पर उपर्युक्त तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया।
- b. The crux of the SCN is that the Authority had learnt from the newspaper article that there were raids on the offices of Dealmoney Securities Private Limited in Kolkata, and the Applicant did not disclose the said fact at the relevant time.
- ग. संगत समय पर, डीएसपीएल और आवेदक सहयोगी कंपनियाँ नहीं थीं। संबंधित समय पर शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार था:
- c. At the relevant time, DSPL and the Applicant were not associate companies. The shareholding pattern at the relevant time was as follows:

शेयरधारक का नाम Name of the shareholder	डीएसपीएल DSPL	आवेदक Applicant
गौतम देशपांडे Gautam Deshpande	हाँ Yes	नहीं No
सौम्या देशपांडे Sowmya Deshpande	हाँ Yes	नहीं No
आनंदी पी नाइग	हाँ	नहीं

Anandhi P Naig	Yes	No
धनलक्ष्मी बैंक Dhanalakshmi Bank	हाँ Yes	नहीं No
पर्पल फाइनेंस लिमिटेड Purple Finance Limited	हाँ Yes	नहीं No
रघुविंदर कुमार कटारिया Raghuvinder Kumar Kataria	हाँ Yes	नहीं No
वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लि. One Life Capital Advisors Ltd.	नहीं No	हाँ (वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स की 100% सहायक कंपनी) Yes (100% subsidiary of One Life Capital Advisors)

(घ) अतः आवेदन की तारीख की स्थिति के अनुसार, आवेदक और डीएसपीएल के कोई सामान्य शेयरधारक नहीं थे। तथापि, उचित प्रकटीकरण के हित में यह बताया जाता है कि श्री टीकेपी नाइग वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड का प्रवर्तक है, जो एक सूचीबद्ध कंपनी है तथा श्री टीकेपी नाइग और सुश्री आनंदी पी नाइग परस्पर संबंधित हैं। श्री पाण्डू नाइग श्री टीकेपी नाइग और सुश्री आनंदी नाइग का रिश्तेदार है।

(d) Therefore, the Applicant and DSPL had no common shareholders as on the date of the Application. However, in the interest of fair disclosure it is stated that Mr. TKP Naig is the promoter of OneLife Capital Advisors Limited, which is a listed company and Mr. TKP Naig and Ms. Anandhi P Naig are related to each other. Mr. Pandoo Naig is a relative of Mr. TKP Naig and Ms. Anandhi P Naig.

(ङ) कोलकाता में कथित शिकायत/जाँच का प्रकटीकरण न करने के लिए कारण यह था कि डीएसपीएल अथवा डीएसपीएल के प्रवर्तकों/शेयरधारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी, परंतु यह केवल डीएसपीएल के कुछ दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध ही प्रारंभ की गई थी।

(e) The reason for non-disclosure of the said complaint/investigation in Kolkata was that there was no proceeding initiated against DSPL or the promoters/shareholders of DSPL, but the same were initiated only against certain errand employees of DSPL.

(च) डीएसपीएल की 40+ शाखाओं में एक हजार से अधिक कर्मचारी थे और वह सेबी द्वारा पंजीकृत एक शेयर दलाल है। शिकायतें की गई थीं कि एक श्री अभिजीत डे और डीएसपीएस के कुछ अन्य कर्मचारी आम जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने प्रारंभिक जाँच की और एक एफआईआर पंजीकृत की। तदुपरांत, एफआईआर और धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद, डीएसपीएल ने श्री डे के विरुद्ध स्वयं ही एक एफआईआर फाइल की और उनकी सेवा समाप्त की।

(f) DSPL had more than a thousand employees across 40+ branches and is a SEBI Registered stock broker. There were complaints made that one Mr. Abhijit Dey and some other employees of DSPL were attempting to defraud the general public. The Police did a preliminary investigation and registered an FIR. Subsequently, after learning of the FIR and the fraud, DSPL itself filed an FIR against Mr. Dey and terminated his employment.

(छ) आवेदन प्रस्तुत करते समय श्री अभिजीत डे आवेदक का निदेशक नहीं थे, तथा उन्हें बाद में नियुक्त किया गया था। आवेदक सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि श्री डे की नियुक्ति और बरखास्तगी की सूचना न देने की आवेदक की ओर से चूक इरादतन नहीं की गई थी तथा आवेदक प्रस्तुत करता है कि कथित चूक क्षंतव्य स्वरूप की है, अतः इसे आवेदक के आवेदन से स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। आवेदक प्रस्तुत करता है कि श्री डे आवेदक/डीएसपीएल द्वारा एक व्यावसायिक क्षमता में नियुक्त कर्मचारी थे तथा वे डीएसपीएल या आवेदक का शेयरधारक नहीं थे।

(g) At the time of the Application, Mr. Abhijit Dey was not a director of the Applicant, and he was appointed subsequently. The Applicant respectfully submits that the lapse on the Applicant's part to inform the Authority of the appointment and removal of Mr. Dey was not intentional and submits that the said lapse being one of venial nature, ought to be independent of the application of the Applicant. The Applicant submits that that Mr. Dey was an employee engaged by the Applicant/DSPL in a professional capacity and is not a shareholder of either DSPL or the Applicant.

(ज) डीएसपीएल अथवा डीआईबीपीएल उच्चतम व्यावसायिक मानकों के साथ संचालित किये जाते हैं, तथा धोखाधड़ी जो श्री डे और कुछ अन्य कर्मचारी कर रहे थे, उनकी वैयक्तिक क्षमता में थी तथा आवेदक या डीएसपीएल के विरुद्ध लेशमात्र भी आरोप नहीं है कि डीएसपीएल या आवेदक में संस्थागत स्तर पर कोई समस्या थी। किसी भी स्थिति में आवेदक को कभी किसी अन्य संस्था में कुछ कर्मचारियों के द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(h) DSPL or DIBPL are run with the highest professional standards, and the fraud which Mr. Dey and some other employees were perpetrating was in their individual capacity and there is not a shred of allegation against the Applicant or DSPL that there were any issues at the institutional level at DSPL or the Applicant. In any event, the Applicant can never be held responsible for a fraud committed by some employees in another concern.

(झ) डीएसपीएल का अब पुनर्गठन किया गया है तथा कुछ विनियामक अनुमोदनों के अधीन अब वह वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड की सहायक संस्था होगी। वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड एक सार्वजनिक तौर पर सूचीबद्ध कंपनी है जिसके 12,000 से अधिक सार्वजनिक शेयरधारक हैं। कथित व्यक्ति जो डीएसपीएल के पास थे, अब उनके साथ

संबद्ध नहीं हैं, तथा इस कारण से ऐसी कोई विद्यमान आशंका नहीं है कि आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना किसी भी प्रकार से पालिसीधारकों के हित के लिए हानिकारक हो सकता है।

(i) DSPL has since undergone reorganization and subject to certain regulatory approvals, DSPL will now be a subsidiary of Onelife Capital Advisors Limited. Onelife Capital Advisors Limited is a publicly listed company with over 12,000 public shareholders. The said individuals who were with DSPL are no longer associated with them, and therefore there is no living apprehension that the grant of a certificate of registration to the Applicant can in any manner be detrimental to the interest of policyholders.

(ज) आवेदक ने कोलकाता में स्थानीय पुलिस के पास पूछताछ की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की एक प्रति प्राप्त कर सका है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में डीएसपीएल एक अभियुक्त नहीं है तथा पुलिस उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है जिन्होंने कथित धोखाधड़ी की है।

(j) The Applicant enquired with the local police in Kolkata and managed to get a copy of the First Information Report (FIR). The police have stated that DSPL is not an accused in the matter and the police is proceedings against the errant individuals who have committed the alleged fraud.

(ट) जिन व्यक्तियों/संस्थाओं से धनराशियाँ कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त की गई थीं, उनकी सूची के अनुसार धन वापसी के समझौते के दस्तावेजी प्रमाण के संबंध में प्राधिकरण के प्रश्न के विषय में आवेदक ने कहा है कि उपर्युक्त राशियाँ ब्रैंड मूल्य और पालिसीधारकों के हित का संरक्षण करने के लिए वापस अदा की गई थीं। उक्त धनराशियों का भुगतान पालिसीधारकों के हित का संरक्षण करने के लिए डीएसपीएल निधियों से किया गया था। उपर्युक्त भुगतान के लिए डीएसपीएल कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता।

(k) With regard to the query of the Authority on the documentary proof of refund amount settlement with list of persons/entities from whom the amounts were fraudulently collected, Applicant has stated that the said amounts were paid back to protect the brand value and policyholders' interest. The monies were paid from the DSPL funds to protect the policyholders' interest. DSPL does not admit to any liability on account of the said payment.

(ठ) कारपोरेट एजेंट और आवेदक के बीच किसी हित के संघर्ष पर प्राधिकरण के प्रश्न के संबंध में आवेदक के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विलय के अनुसरण में डीएसपीएल अब वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स की एक सहायक संस्था होगी जो आवेदक की 100% शेयरधारक भी है। इसे देखते हुए, आवेदक के आवेदन का प्रसंस्करण किये जाने और आवेदक को एक बीमा दलाल के रूप में परिचालन करने के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने की स्थिति में, डीएसपीएल एक कारपोरेट एजेंट के रूप में अपने लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए

अग्रसर नहीं होगा, जो इस समय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। अतः हितों के संघर्ष की कोई स्थिति नहीं होगी।

(I) With regard to the query of Authority on any conflict of interest between the Corporate Agent and the Applicant, it is submitted by the Applicant that pursuant to the merger, DSPL will now be a subsidiary of One life Capital Advisors who is also the 100% shareholder of the Applicant. In view of the same, in the event the Applicant's application is processed, and the Applicant is granted the license to operate as an insurance broker, DSPL will not pursue the renewal of its license as a Corporate Agent, which is currently pending before the Authority. Therefore, there will be no case of conflict of interest.

18. आवेदक ने अपने ई-मेल दिनांक 09 नवंबर 2023 के द्वारा कुछ अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:

The Applicant submitted some additional information vide its email dated November 09, 2023 which is as follows:

- क. श्री अभिजीत डे व्यावसायिक क्षमता में नियुक्त कर्मचारी (शेयरधारक / प्रवर्तक का भाग नहीं) थे। इसके अलावा, उन्हें डीआईबीपीएल के निदेशक के रूप में 05 फरवरी 2019 को नियुक्त किया गया था और 13 मार्च 2020 को उस पद से हटाया गया था।
- a. Mr. Abhijit Dey was an employee engaged in a professional capacity (Not a part of shareholder / promoter). Further, he was appointed as a director of DIBPL on February 05, 2019 and removed from the same on March 13, 2020.
- ख. बिधान नगर, कोलकाता में फाइल की गई एफआईआर केवल उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध थी, और डीएसपीएल के विरुद्ध नहीं थी।
- b. The FIR filed in the Bidhan Nagar, Kolkata is only against those errant individuals and it is not against DSPL.
- ग. श्री अभिजीत डे के कदाचार के बारे में जानकारी मिलने के बाद डीएसपीएल ने तत्काल उनके विरुद्ध एफआईआर दायर की थी। उपर्युक्त एफआईआर की जाँच पुलिस अधिकारियों द्वारा कोविड के समय के दौरान अनुवर्तन के अभाव का कारण बताते हुए उसके अंतर्गत रोकੀ जा रही थी। तथापि, उसके बारे में जानने के बाद, डीएसपीएल ने पुलिस और माननीय न्यायालय से संपर्क किया तथा उपर्युक्त रूप से मामले की जाँच करने का अनुरोध किया और तदनुसार उपर्युक्त एफआईआर की जाँच वर्तमान में पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जा रही है।
- c. After learning about misconduct of Mr. Abhijit Dey, DSPL has immediately filed FIR against him. The investigation of the said FIR was being stopped by the police officials under the pretext of non-follow up during the Covid times. However, after learning the same, the DSPL have approached the Police and Honourable Court and requested to investigate the matter appropriately and accordingly the said FIR is currently being investigated by the police officials.

टिप्पणियाँ / Observations:

19. आवेदक के उपर्युक्त प्रस्तुतीकरणों की सावधानीपूर्वक जाँच की गई है। आवेदक का तर्क कि उनको कभी भी किसी अन्य संस्था के कुछ कर्मचारियों के द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, स्वीकार्य नहीं है। कारपोरेट एजेंट उसके कर्मचारियों के द्वारा किये गये सभी कार्यों और भूल-चूक के लिए उत्तरदायी होगा तथा अपने कर्मचारियों के द्वारा किये गये गलत कार्यों के लिए स्वयं को मुक्त नहीं रख सकता। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने आवेदक के यहाँ एक निदेशक के रूप में श्री अभिजीत डे की नियुक्ति और बरखास्तगी के संबंध में तथा कारपोरेट एजेंट और श्री अभिजीत डे सहित उसके कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा किये गये छापों और की गई जाँच-पड़ताल के बारे में अपनी ओर से सूचना के अप्रकटीकरण को स्वीकार किया है। यह उक्त विनियमों के विनियम 7(5) के अनुपालन में नहीं है जो निर्धारित करता है कि आवेदक अपने आवेदन पर विचार किये जाने के संबंध में प्रभाव रखने की संभावना से युक्त ऐसी अतिरिक्त सूचना/या स्पष्टीकरण स्वयं ही तत्काल प्राधिकरण की जानकारी में लाएगा।

The above submissions of the Applicant have been carefully examined. The contention that the Applicant can never be held responsible for a fraud committed by some employees in another concern is not tenable. The Corporate Agent shall be responsible for all the acts and omissions of its employees and it cannot absolve itself for the wrong doings of its employees. Further, the Applicant has admitted the non-disclosure of information on its part regarding the appointment and removal of Mr. Abhijit Dey as a Director in the Applicant and about the raids and investigations carried out by the police against the Corporate Agent and its employees including Mr. Abhijit Dey. The same is not in compliance with Reg. 7(5) of the Regulations which stipulates that the Applicant shall bring to the notice of the Authority, on its own forthwith, such further information/or clarification, which might have a bearing on consideration of their application.

20. संदर्भ आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/एमआईएससी /42/2/2024 दिनांक 22 फरवरी 2024 से युक्त एक आदेश उक्त कारपोरेट एजेंट के विरुद्ध जारी किया गया है जिसमें टिप्पणी की गई है कि उसके परिचालनगत व्यवहार ने अभिशासन में कमियाँ दर्शाई हैं, उसमें पर्याप्त नियंत्रणों का अभाव है, महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राधिकरण को सूचित नहीं किये गये हैं तथा पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण नहीं किया गया है।

An order bearing ref. IRDAI/INT/ORD/MISC/42/2/2024 dated February 22, 2024 has been issued against the Corporate Agent wherein it was observed that its operational conduct exhibited deficiencies in governance, lacked adequate controls, failed to inform the Authority of material changes and had failed to safeguard the interests of policyholders.

21. यह भी पाया गया है कि श्री विक्रम राठोड़, जो आवेदक के प्रधान अधिकारी हैं, भी कारपोरेट एजेंट में निदेशक की क्षमता में संबद्ध थे। श्री विक्रम राठोड़ धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहारों में लिप्त थे और कारपोरेट एजेंट के द्वारा उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस बात का प्रकटीकरण आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में नहीं किया गया और आवेदक के द्वारा यह स्वयं ही प्राधिकरण की जानकारी में नहीं लाया गया, तथा इस कारण से यह भी उक्त विनियमों के विनियम 7(5) के अनुपालन में नहीं है।

It has also been observed that Mr. Vikram Rathod, who is the Principal Officer of the Applicant, was also associated in the capacity of Director in the Corporate Agent. Mr. Vikram Rathod was engaged in fraudulent practices and an FIR was lodged against him by the Corporate Agent. The same was not disclosed by the Applicant in its application and was not brought to the notice of the Authority, on its own forthwith, by the Applicant and is therefore also not in compliance with Reg. 7(5) of the Regulations.

22. आवेदक ने प्रस्तुतीकरण किया है कि कार्यवाही कारपोरेट एजेंट के केवल कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध ही प्रारंभ की गई थी। तथापि, श्री अभिजीत डे कारपोरेट एजेंट में एवं आवेदक में एक निदेशक के रूप में संबद्ध थे तथा इस कारण से वे प्रबंधन का अंग थे।

The Applicant has submitted that the proceedings were initiated only against certain employees of the Corporate Agent. However, Mr. Abhijit Dey was associated as a Director in the Corporate Agent as well as in the Applicant and is therefore part of the management.

23. पूर्व में आवेदन करते समय आवेदक ने प्रस्तुतीकरण किया है कि डीलमनी सेक्यूरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड उनकी सहयोगी कंपनी है। आवेदक ने पत्र दिनांक 18 जुलाई 2023 के द्वारा प्रस्तुतीकरण किया है कि वह कारपोरेट एजेंट के साथ संबद्ध नहीं है और यह कि किसी अन्य संस्था में कुछ कर्मचारियों के द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए आवेदक को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तथापि, यह पाया गया है कि अपने पंजीकृत कार्यालय के रूप में आवेदक और कारपोरेट एजेंट का एक ही पता है। यह भी देखा गया है कि वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लि. कारपोरेट एजेंट की प्रवर्तक कंपनी है और वह आवेदक की भी प्रवर्तक कंपनी है। इसके अलावा, श्री पाण्डू प्रभाकर नाइग दोनों कारपोरेट एजेंट और आवेदक का सामान्य निदेशक है।

Earlier at the time of making application the Applicant has submitted that Dealmoney Securities Private Limited is its associate company. The Applicant vide letter dated July 18, 2023 has submitted that it is not associated with the Corporate Agent and that the Applicant can never be held responsible for a fraud committed by some employees in another concern. However, the Applicant and the Corporate Agent are observed to have the same address as their registered office. It is also noted that Onelife Capital Advisors Ltd. is the promoter company of the Corporate Agent and it is also the promoter company of the Applicant. Further, Mr. Pandoo Prabhakar Naig is a common director of the Corporate Agent and the Applicant.

निर्णय / Decision:

24. कारपोरेट एजेंट के मामले के चारों ओर विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उसमें बताई गई कार्रवाइयों के लिए, एक बीमा दलाल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक के आवेदन पर विचार करने के लिए प्राधिकरण कोई कारण नहीं पाता। यह दोहराया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ण) के अनुसार, प्राधिकरण बीमा दलाल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम का प्रश्न पालिसीधारकों के हित में होगा या नहीं। अतः इस विषय में कारपोरेट एजेंट के आचरण और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक और कारपोरेट एजेंट की एक ही सामान्य प्रवर्तक कंपनी अर्थात् वनलाइफ कैपिटल एडवाइज़र्स लिमिटेड है और एक ही सामान्य निदेशक अर्थात् श्री पाण्डू प्रभाकर नाइग है, जिन्हें कारपोरेट एजेंट के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों के आधार पर "योग्य और उपयुक्त" (फिट एण्ड प्रोपर) नहीं पाया गया है, प्राधिकरण की राय है कि आवेदक कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उक्त विनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता।

In view of the facts and circumstances surrounding Corporate Agents' case and for actions stated therein, the Authority finds no reason to consider the application of the Applicant for registration as an insurance broker. It is reiterated that as per clause (o) of sub regulation (2) of Regulation 8 of the Regulations, the Authority, while considering the application for registration as an insurance broker, shall take into account as to whether the issue of Certificate of Registration will be in the interest of the policyholders. Therefore, considering the conduct of the Corporate Agent in the matter and the fact that the Applicant and the Corporate Agent are having the common promoter company i.e. Onelife Capital Advisors Ltd. and common director i.e. Mr. Pandoo Prabhakar Naig, who by virtue of the actions taken against the Corporate Agent are found not to be "Fit and Proper", the Authority is of the view that the application submitted by the Applicant Company does not satisfy the conditions set out in the Regulations for grant of certificate of registration.

25. तदनुसार, उक्त विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राधिकरण पर निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फाइल किये गये दिनांक 22 जून, 2018 के आवेदन को अस्वीकार करता है।

Accordingly, in exercise of the powers vested upon the Authority under sub regulation (1) of regulation 12 of the Regulations, the Authority hereby rejects the application dated June 22, 2018 filed by Dealmoney Insurance Broking Private Ltd.



(एस. एन. राजेस्वरी / S.N. Rajeswari)
सदस्य (वितरण) / Member (Distribution)

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date: 23 फरवरी, 2024 / 23 February, 2024

डीलमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आदेश
Order in the matter of Dealmoney Insurance Broking Pvt. Ltd.